	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
…1.25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ. साहब आज दौरे पर पधारे है अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...... 8.12.25 को पेश की जावे	
8.12.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से पूर्व मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई. वकील वादी ने अपनी बहस मे फर्द बटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा पत्र संख्या — 27/2022

श्यामलाल पिता रतनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सोनगर तह0 बेगूं
वादी

बनाम

1 कमलेश पिता शांतिलाल जी धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगूं
2 विशाल पिता शांतिलाल जी धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगूं
3 चैनसुख पिता देबीलाल जी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सोनगर तह0 बेगूं
4 रामेश्वरलाल पिता देबीलाल जी जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सोनगर तह0 बेगूं
5 शम्भूलाल पिता देबीलाल जी कुम्हार (प्रजापति) निवासी सोनगर तह0 बेगूं
6 श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय भूमि विकास बैंक शाखा बेगूं
7 श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय एचडीएफसी बैंक लि. बेगूं
8 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार बेगूं जिला चित्तौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री प्रकाशचन्द्र शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 08.12.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा मंडावरी प.ह.मंडावरी तह0 बेगूं में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

खाता सख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
189	143	0.8410 हैक्टर
	कीता—1 रकबा	0.8410 हैक्टर

यह कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में वादी का 1/4 हक हिस्सा निहित है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकितानुसार हक हिस्सा निहित है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या एक लगायत 5 तक का जमाबंदी में अंकित हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगाकर 5 तक अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर आपसी तौर पर मौखिक बंटवाडा कर निरतर काबिज हो काश्त करते चले आ रह है। और लगान भी अदा करते आ रहे है लेकिन मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड में विधिवत विभाजन नही होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आए दिन फसल बोने व घास चारा काटते समय एवं लगान जमा कराते समय विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान के लिए वादी ने आपसी सहमति से तहसील में चलकर खाता विभाजन कराने के लिए दिनांक 1.02.2022 को प्रतिवादीगण को कहा किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर देने से यह वादपत्र वास्ते विभाजन घोषणा हेतु न्यायालय श्रीमान में पेश करने की आवश्यकता हुई है। इस प्रकार वाद करण दिनांक 1.02.2022 को उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश है। यह कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात बैंक शाखा के रहन होने से एवं श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाए गये है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिकी प्रदान कराई जावें :—

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ़)

कि वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित मौजा मण्डावरी तहसील बेगूं की संयुक्त खातेदारी भूमि आली में वादी का 1/4 हक हिस्सा निहित है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में अंकितानुसार एवं काबिजानुसार हक हिस्सा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का मिट्टा एवंम बाजूपडत के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किए जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

(ख) कि बाद विभाजन वादी का खाता अलग रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में प्रदान कराई जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1से 7 तक बावजूद सूचना के उपस्थित नही आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही न्यायालय द्वारा किये जाने के आदेश दिये गये। पत्रावली मे तहसीलदार बेगूँ उपस्थित आए जिन्होने जवाब हेतु अवसर चाहा है। लेकिन विभाजन के वादपत्र में भूमिधारी फोर्मल पक्षकार होने से उनके जवाब का इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत नही किया गया है। प्रकरण में वादी श्यामलाल के साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र लिये जाकर मुख्य परीक्षण मे वादी के बयान कलमबद्ध कराये गये तथा वादी द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया जाकर अपने बयान पूर्ण किये गये। पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थिती नहीं होने एवं कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

पत्रावली पर वादी साक्ष्य एक तरफा पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस दावा पत्रावली पर सुनी गई जिन्होने अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार करते हुए प्रस्तुत जमाबंदी मे अंकित हक हिस्सानुसार विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा है। हमारे द्वारा बहस सुने जाने के उपरान्त पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 व नक्शाट्रेस प्रदर्श–2 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी में दर्ज हिस्सा अनुसार ही वादी ने अपने वादपत्र में हिस्सा होना अंकित किया है जिससे वादी उक्त आराजी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत विभाजन करा पाने के अधिकारी पाये जाते है एवं अपना खाता पृथक करा पाने के अधिकारी भी पाये जाते है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा मण्डावरी पटवार हल्का मण्डावरी की आराजी संख्या 143 रकबा 8410 हैक्टर भूमि में वादी का 1/4 हक हिस्सा निहित है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सानुसार व कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवाने के निर्देश दिये जाते है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक/राजस्व /2025/869 दिनांक 06.10.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मण्डावरी हल्का मण्डावरी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

गदी एंव

श्री श्यामलाल पिता रतनलाल कुम्हार नि. सोनगर खाता रहन चि.भू.वि. बैंक लि. शाखा बेगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
143 मेसे	0.1390
143 मेसे	0.0560
कीता– 02	0.1950 हैक्टर

2– श्री कमलेश 1/2, विशाल 1/2, पिता शांतिलाल धाकड

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
143 मेसे	0.1950
कीता– 01	0.1950 हैक्टर

3– श्री चेनसुख पिता देवीलाल कुम्हार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
143 मेसे	0.1300
कीता– 01	0.1300 हैक्टर

4– श्री रामेश्वरलाल पिता देवीलाल कुम्हार नि. सोनगर खाता रहन भू.वि. बैंक लि. शाखा बेंगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
143 मेसे	0.1300
कीता– 01	0.1300 हैक्टर

5– श्री शंभूलाल पिता देवीलाल कुम्हार नि. सोनगर खाता रहन चि.भू.वि. बैंक लि. शाखा बेंगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
143 मेसे	0.1300
कीता– 01	0.1300 हैक्टर

6– श्री श्यामलाल पिता रतनलाल कुम्हार 1/4, कमलेश 1/8, विशाल 1/8, पिता शांतिलाल धाकड, चेनसुख पिता देवीलाल कुम्हार 1/6, रामेश्वरलाल पिता देवीलाल कुम्हार 1/6, शंभूलाल पिता देवीलाल कुम्हार 1/6 निवासी सोनगर रहन जमाबन्दी अनुसार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	
143 मेसे	0.0610	रास्ता
कीता– 01	0.0610 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या :– 27/2022

श्यामलाल पिता रतनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सोनगर तह0 बेगूं
वादी

1 कमलेश पिता शांतिलाल जी धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगूं
2 विशाल पिता शांतिलाल जी धाकड निवासी सौनगर तह0 बेगूं
3 चैनसुख पिता देवीलाल जी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सोनगर तह0 बेगूं
4 रामेश्वरलाल पिता देवीलाल जी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सोनगर तह0 बेगूं
5 शंभूलाल पिता देवीलाल जी कुम्हार (प्रजापति) निवासी सोनगर तह0 बेगूं
6 श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय भूमि विकास बैंक शाखा बेगूं
7 श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय एचडीएफसी बैंक लि. बेगूं
8 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार बेगूं जिला चित्तौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री............की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा.53–88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 08.12.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मण्डावरी हल्का मण्डावरी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री श्यामलाल पिता रतनलाल कुम्हार नि. सोनगर खाता रहन चि.भू.वि. बैंक लि.शाखा बेंगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
143 मेसे	0.1390
143 मेसे	0.0560
कीता– 02	0.1950 हैक्टर

2– श्री कमलेश 1/2, विशाल 1/2, पिता शांतिलाल धाकड

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
143 मेसे	0.1950
कीता– 01	0.1950 हैक्टर

3– श्री चेनसुख पिता देवीलाल कुम्हार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
143 मेसे	0.1300
कीता– 01	0.1300 हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

श्री रामेश्वरलाल पिता देवीलाल कुम्हार नि. सोनगर खाता रहन भू.वि. बैंक लि. शाखा बेंगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
143 मेसे	0.1300
कीता– 01	0.1300 हैक्टर

5– श्री शंभूलाल पिता देवीलाल कुम्हार नि. सोनगर खाता रहन चि.भू.वि. बैंक लि. शाखा बेंगूं

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
143 मेसे	0.1300
कीता– 01	0.1300 हैक्टर

6– श्री श्यामलाल पिता रतनलाल कुम्हार 1/4, कमलेश 1/8, विशाल 1/8, पिता शांतिलाल धाकड, चेनसुख पिता देवीलाल कुम्हार 1/6, रामेश्वरलाल पिता देवीलाल कुम्हार 1/6, शंभूलाल पिता देवीलाल कुम्हार 1/6 निवासी सोनगर रहन जमाबन्दी अनुसार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	
143 मेसे	0.0610	रास्ता
कीता– 01	0.0610 हैक्टर	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेंगूं

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ 963 दिनांक :- 15/12/25

अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेंगूं को पालनार्थ दि जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेंगूं